प्रेस नोट दिनांक-02.11.2025

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

➡️ थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक(IPS) व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्वेक्षण में दिलीप कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक सकलडीहा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.11.2025 को सकलडीहा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी शराब को पीथापुर नोनार तुलसी आश्रम स्टेशन के आउटर साइड में ट्रेन पर लादकर गैर प्रान्त बिहार ले जाने वाले है,उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा पीथापुर नोनार तुलसी आश्रम स्टेशन के आउटर साइड पर पहुंच कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 88.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब व 24 केन बीयर किंग फिसर कम्पनी की प्रत्येक की मात्रा 500ml, (कुल मात्रा 100.2 लीटर अवैध अंग्रेजी/बीयर शराब) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान1.दीपक कुमार पुत्र रवीन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम टिल्हवा थाना नौबतपुर जिला पटना बिहार उम्र करीब 24 वर्ष 2. सुनील कुमार पुत्र स्व0 नरेश पता वार्ड नं0 14 कोईलवर थाना कोईलवर जिला आरा बिहार उम्र करीब 40 वर्ष व 3. बजरंगी कुमार पुत्र नागेन्द्र निवासी घोडटाप थाना विहिटा जिला पटना बिहार उम्र करीब 22 वर्ष के रुप में हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-226/2025 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अग्रेंजी शराब को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानो से खरीद कर इकट्ठा करके ट्रेन में लाद कर बिहार राज्य ले जाकर ऊँचे दामो में बेचते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1.दीपक कुमार पुत्र रवीन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम टिल्हवा थाना नौबतपुर जिला पटना बिहार उम्र करीब 24 वर्ष
2.सुनील कुमार पुत्र स्व0 नरेश पता वार्ड नं0 14 कोईलवर थाना कोईलवर जिला आरा बिहार उम्रकरीब 40 वर्ष
3.बजरंगी कुमार पुत्र नागेन्द्र निवासी घोडटाप थाना विहिटा जिला पटना बिहार उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0-226/2025 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1.ओल्डमंक 24 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 ml (02 पेटी)
2.आर एस 36 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 ml. (03 पेटी)
3.सिग्नेचर 12 बोतल प्रत्येक की मात्रा 750 ml, (02 पेटी)
4.आफ्टर डार्क ब्ल्यू 150 शीशी प्रत्येक की मात्रा 180 ml
5.8PM गोल्ड 40 शीशी प्रत्येक की मात्रा 180ml
(कुल मात्रा 88.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब)
6.24 केन बीयर किंग फिसर कम्पनी की प्रत्येक की मात्रा 500ml

(कुल 12 लीटर)

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार श्रीवास्तव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 नन्दलाल मिश्र कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 शिवशंकर यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
4.उ0नि0 कौशलेश मिश्रा कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
5.हे0का0 संजय पाण्डेय कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
6.का0 प्रश्विन कुमार दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
7.का0 संदीप यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली